न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी रतन लाल योगी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 05/2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. श्रीमती मंजू देवी पुत्री स्व. श्री ओमदत्त उर्फ ओमप्रकाश पत्नि श्री विजय सिंह गहलोत उम्र 61 वर्ष जाति माली निवासी गहलोतो का बास चार खम्बा मगरा पूंजला जोधपुर 2. श्रीमती विमला पंवार पुत्री स्व. श्री ओमदत्त उर्फ ओमप्रकाश पत्नि श्री बंशीलाल पंवार उम्र 52 वर्ष जाति माली निवासी 190 मालियों की गली एल.बी.एस.स्कूल के पीछे सुभाष चौक रातानाडा जोधपुर		1. भागीरथ सोलंकी पुत्र स्व.श्री ओमदत्त उर्फ ओमप्रकाश 2. नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व.श्री ओमदत्त उर्फ ओमप्रकाश 3. श्रीमती श्यामा पत्नि स्व.श्री ओमदत्त उर्फ ओमप्रकाश जातियान माली निवासीगण पदाला बेरा मण्डोर जोधपुर 4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध ग्राम मण्डोर तहसील व जिला जोधपुर का नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 03.09.1995 को तहसीलदार जोधपुर के द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः- 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 स्वयं उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 28.08.2024

अपीलान्ट श्रीमती मंजूदेवी पुत्री स्व.श्री ओमदत्त उर्फ ओमप्रकाश पत्नि श्री विजय सिंह गहलोत उम्र 61 वर्ष जाति माली निवासी गहलोतों का बास, चार खम्बा मगरा पूंजला जोधपुर व अन्य की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट भागीरथ सोलंकी पुत्र स्व.श्री ओमदत्त उर्फ ओमप्रकाश जाति माली निवासी पदाला बेरा मण्डोर जोधपुर व अन्य के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 03.09.1995 को को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 875 ग्राम मण्डोर को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 01 व 02 के पिता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के पति श्री ओमदत्त पुत्र श्री किसनसिंह सहित अन्य [illegible] की संयुक्त कब्जा काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 872 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 873 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा, [illegible] संख्या 874 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 879 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम मण्डोर जिला जोध[illegible] में आयी हुई है। पूर्व [illegible] भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:10:14 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

राजस्व रेकर्ड में ओमदत्त सहित अन्य सहखातेदारों के नाम से राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज थी। ओमदत्त के स्वर्गवास के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 के द्वारा तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके ओमदत्त के हक व हिस्से की भूमि केवल मात्र अपने नाम दर्ज करवा ली, जबकि अपीलार्थीगण भी स्व. श्री ओमदत्त की जायन्दा पुत्रियां है इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 की भांति अपीलार्थीगण का भी स्व. श्री ओमदत्त की कृषि भूमि में बराबर बराबर बंट व हिस्सा निहित चला आ रहा था, परन्तु ओमदत्त के स्वर्गवास के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारयों से मिलीभगत करके अपने आपको स्व. श्री ओमदत्त का उत्तराधिकारी एवं वारिस बताकर अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करवाया गया जिससे व्यथित होकर राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व स्व. श्री ओमदत्त के विधिक वारिसानों की जांच किये बगैर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 से मिलीभगत करके बाले बाले अकेले के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने, रेस्पोडेन्ट संख्या 04 द्वारा मौका निरीक्षण कर मौके पर काबिज व्यक्तियों की जांच व मृतक व्यक्ति के सभी विधिक वारिसान की जांच किये बगैर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने, रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 2 के हक में एक हकतर्कनामा निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 द्वारा अपने आपको ही स्व.श्री ओमदत्त के उतराधिकारी एवं वारिस होना बताया गया जबकि अपीलार्थीगण भी स्व.श्री ओमदत के विधिक वारिसान एवं उतराधिकारी होने के बावजूद उनके हक व हिस्से की भूमि को हड़प करने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने स्व. श्री ओमदत का वारिस होना बताकर अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करवाने, अपीलार्थीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि मे अपना हक व हिस्सा मांगने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा उनको बताया कि पिताजी के स्वर्गवास के बाद उनके नाम की सम्पूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करवा कर उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करा लिया है आदि आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 03.09.1995 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 875 ग्राम मण्डोर को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होने बताया कि अपील में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के मध्य लोक अदालत की भवना से आपस में राजीनामा हो चुका है तथा प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 अपीलाधीन नामान्तरकरण आपसी रजामन्दी से निरस्त करवाने हेतु सहमत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 03.09.1995 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 875 ग्राम मण्डोर को आपसी रजामन्दी से निरस्त कर प्रकरण को तहसीलदार जोधपुर को रिमाण्ड किया जाने का निवेदन किया गया है।

हम अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र पर मनन विचारण करने के पश्चात् इस निर्णय पर पहुंचते है कि तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 03.09.1995 को नामान्तरकरण संख्या 875 ग्राम मण्डोर स्वीकृत किया गया है। प्रकरण में अपीलार्थीगण जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 [illegible] की बहिन व 03 की पुत्री है ने उक्त नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि [illegible] व श्री ओमदत्त उर्फ ओमप्रकाश के विधिक वारिसान व उतराधिकारी होने से उनके हिस्से की भूमि में राजस्व रेकर्ड में उनका नाम अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया गया जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 की ओर से आपसी रजामन्दी से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:10:14 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सहमति प्रदान की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए दिनांक 03.09.1995 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 875 ग्राम मण्डोर को निरस्त किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेश दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में विधिक वारिसान व उत्तराधिकार में अपीलान्ट के हक व हिस्से हेतु विवादग्रस्त आराजी से जुड़े हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार जोधपुर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रतन लाल योगी)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:10:14 IST
Reason: SelfAttested